

कार्यालय—निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/साप्र/बी-1/कनि.सहा/2018/2019 दिनांक 27.06.2020 द्वारा सुश्री कीर्ति कराडिया मैरिट नम्बर 21223 को टोंक जिला आवंटित किया गया था। सुश्री कीर्ति कराडिया द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में सिविल याचिका संख्या 13182/2020 कीर्ति कराडिया बनाम राजस्थान सरकार व अन्य दायर की गई।


याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.11.2020 में याचिकार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने की स्थिति में विधि अनुसार प्रकरण निस्तारित कर 'SPEAKING ORDER' जारी किये जाने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय न्यायालय निर्णय के अनुसरण में याचिकार्थी सुश्री कीर्ति कराडिया द्वारा अभ्यावेदन दिनांक 12.11.2020 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वे एकल महिला हैं, अपने घर से 150 कि.मी दूर हैं एवं माता-पिता वृद्ध हैं जिनकी देखभाल की जिम्मेदारी मुझ पर है। याची ने गृह जिला जयपुर आवंटन करने की मांग की है।

माननीय न्यायालय निर्णय एवं राज्य सरकार एवं विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशो/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का परीक्षण किया गया एवं उनसे सम्बन्धित अभिलेखों का अवलोकन किया गया। सुश्री कीर्ति कराडिया द्वारा दिये गए विकल्प के आधार पर व उनकी मैरिट के अनुसार टोंक जिला आवंटित किया गया था।

याचिकार्थी द्वारा अपनी विकट पारिवारिक व सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर जिस अनुतोष की मांग की गई है, उसके सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि इन्हें राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश 29.05.2020 के अनुसार ही जिला आवंटित किया गया है। कार्मिक द्वारा कार्यग्रहण किया जा चुका है, इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती। इच्छित स्थान की जगह अन्यत्र पदस्थापित किये जाने से किसी भी लोकसेवक के विधिक अधिकारों का हनन एवं सेवानियमों का किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं होता।


प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 1(1)प्र.सु./अनु-3/2020पार्ट, जयपुर, दिनांक 18.05.2020 की पालना एवं विभागीय निर्देश-क्रमांक प. 17(3) शिक्षा-2/2013 जयपुर, दिनांक 29.05.2020 के अनुसार ही काउन्सिलिंग प्रक्रिया में सुश्री कीर्ति कराडिया द्वारा गृह जिला जयपुर की मांग की गई आवंटन के समय जयपुर जिले में कुल 94 रिक्तियां उपलब्ध थीं, जिनमें से शासन के निर्देशानुसार वरीयता क्रम से 42, 2, 50 स्थान क्रमशः विकलांग, विधवा/परित्यक्ता, उच्च मैरिट वाली एकल महिला वाले अभ्यर्थियों को वरीयता तथा प्राथमिकता आधार पर जिलों का आवंटन हो जाने से सुश्री कीर्ति कराडिया द्वारा वांछित जिलों के प्राथमिकता क्रमानुसार शेष उपलब्ध रिक्तियों में से द्वितीय प्राथमिकता अनुसार एकल महिला का लाभ देते हुए टोंक जिला आवंटित हुआ था जो कि पूर्णतः सही व नियमानुसार है। अतः कार्मिक को पूर्व में ही काउन्सिलिंग द्वारा जिला चयन का अवसर प्रदान किये जाने के कारण एतदनुसार द्वारा दिनांक 12.11.2020 को प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है। सम्बन्धित सूचित हो।


(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक शिविरा/माध्य/साप्र/बी-1/कीर्तिकराडिया/13182/2020/11
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक - 12/11/21

1. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच।
2. श्रीमान संयुक्त शासन सचिव, महोदय प्रशासनिक सुधार (अनुभाग 3) विभाग, राज. जयपुर।
3. सिस्टम ऐनालिसिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. अनुभाग अधिकारी, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा के पत्र क्रमांक शिविरा/मा./विधि/बी-2/जय/निर्णय/29869/जी/20 दिनांक 15.12.2020 के क्रम में।
5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा टोंक को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित कार्मिक को अभ्यावेदन निस्तारण से अवगत करावे।
3. संबंधित कार्मिक सुश्री कीर्ति कराडिया, कनि.सहा. राउमावि. सांखना टोंक।
4. रक्षित पत्रावली।


निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर